सिंधु जल समझौता

➢ हालिया संदर्भ :

- भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस भेजकर सिंधु जल संधि (IWT) की समीक्षा और संशोधन की मांग की है।
- इससे पूर्व जनवरी 2023 में भी भारत ने इसमें संशोधन की मांग की थी।

➢ IWT :

- भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितम्बर 1960 को सिंधु (Indus) एवं उसकी सहायक नदियों में उपलब्ध जल के उपयोग के लिये यह संधि हुई थी।
- यह विश्व बैंक के द्वारा प्रस्तावित आयोजन था, जिसे संधि तक पहुँचने में 9 वर्ष लग गए।
- इस संधि पर भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू एवं पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किये थे।
- यह संधि करांची में संपन्न हुई थी।
- संधि के अनुसार भारत को सिंधु नदी प्रणाली के 3 पूर्वी नदियों यथा : व्यास, रावी एवं सतलुज के जल का अप्रतिबंधित उपयोग शक्ति प्राप्त है, जबकि तीन पश्चिमी नदियों यथा : सिंधु, चिनाब एवं झेलम के जल पर पाकिस्तान को नियंत्रण मिला।
- IWT के अनुसार, भारत पश्चिमी नदियों के जल का उपयोग घरेलू एवं कृषि कार्यों के लिये कर सकता है।

- इसके अलावा भारत को इन 3 पश्चिमी नदियों पर "रन ऑफ द रिवर" प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का भी अधिकार है, बशर्ते कि नदी-जल-प्रवाह बाधित न हो।
- संधि के अनुच्छेद- III(1) के अनुसार, भारत पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान में अबाध रूप से बहने देने के लिये बाध्य है।
- इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली के कुल जल का लगभग 20% भारत को, जबकि 80% पाकिस्तान को प्राप्त हुआ।

➢ समीक्षा की मांग :

- भारत द्वारा किए गए समीक्षा की मांग के पीछे जनसंख्या जन-सांख्यिकीय में परिवर्तन, पर्यावरण एवं जलवायु संबंधी मुद्दे के मद्देनजर स्वच्छ ऊर्जा की मांग तथा सीमा-पार से आतंकवाद के प्रभाव जैसे कारण है।
- हालिया नोटिस के पीछे जम्मू-कश्मीर में भारत के 2 जल-विद्युत परियोजना पर लंबे समय से जारी विवाद भी है।
- भारत की ये 2 परियोजनाएँ (बांदीपोरा जिले में झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर एवं किश्तवाड जिले में चिनाब नदी पर रतले परियोजना) "रन-ऑफ-रिवर" प्रोजेक्ट के तहत भारत के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन पाकिस्तान इसे IWT का उल्लंघन बताता है।

➢ समाधान तंत्र :

- 2016 में पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया कि इस विवाद को PCA (स्थायी मध्यस्थता न्यायालय) में सुलझा लिया जाये लेकिन भारत ने इसके बजाय मामले को तटस्थ विशेषज्ञ को सौंपने का प्रस्ताव दिया।
- समाधान तंत्र 3 स्तरीय है। पहले स्तर पर दोनों देशों के सिंधु नदी आयुक्तों द्वारा निर्णय लिया जाता है, फिर मामला विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ समिति को भेजा जाता है और अंत में मामले को 'द हेग' में स्थित PCA में भेजा जाता है।

➢ जायसवाल समिति :

- संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति ने पाया कि IWT पर हस्ताक्षर जल उपलब्धता, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा की मांग जैसे कारणों को ध्यान में रखे बिना किया गया था, ऐसे में इसके पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।

➢ सिंधु आयोग :

- IWT के अनुच्छेद-8 के तहत संधि के क्रियान्वयन के लिये एक स्थायी सिंधु आयोग का भी प्रावधान है।

Result Mitra

- वर्णित प्रावधानों के अनुसार, इस आयोग की बैठक प्रत्येक वर्ष बारी-बारी से भारत और पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी।

➢ सिंधु नदी :

- तिब्बती क्षेत्र में 'बोखार चू' नामक ग्लेशियर से उद्गम,
- कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास ग्लेशियर की मौजूदगी,
- डेमचोक क्षेत्र से निकलने के भारत के लद्दाख में प्रवेश,
- लद्दाख क्षेत्र से नदी गिलगित से गुजरते हुए खैबर पख्तूनख्वा में बहती हुई अंत में दक्षिण की तरफ बहर अरब सागर में गिर जाती है।
- 5 प्रमुख सहायक नदियों- चिनाब, झेलम, रावी, व्यास एवं सतलुज को एकत्रित जल मिथनकोट के पास पंचनद (पंचनदी) के नाम से सिंधु नदी में मिलता है।

➢ प्रमुख सहायक नदियाँ :

1. दायीं ओर से :- श्योक, गिलगित, गोमल, कुर्रम, कन्नार, स्वात, काबुल आदि।
2. बायीं ओर से :- रावी, व्यास, सतलुज, चिनाब, झेलम, जास्कर, सुख आदि।

Result Mitra